न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– एल आर ए/71/2015

उनवान

1. दुर्गालाल पिता भूरा लाल ढोली, निवासी बिलिया कलॉ, तहसील हमीरगढ, जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ, जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
अपील विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, (प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांव के संग वर्ष 2001 केम्प सुवाणा) भीलवाडा के प्रकरण संख्या कमांक/13/2001 दिनांक 29.10.2001

अभिभाषक : 1. श्री विकास जायसवाल, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 31.8.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी (प्रभारी अधिकारी) भीलवाडा ने प्रशासन गांवो के संग केम्प सुवाणा में दि. 29.10.2001 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत ग्राम बिलिया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कलॉ के चरागाह नान कमाण्ड क्षेत्र के आराजी नम्बर 63 मीन में से 3 बीघा भूमि चरागाह को आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित करते हुए पंचायत खैराबाद को आवंटन की एवं उसके बदले में आराजी नम्बर 56 मीन रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा किस्म बिलानाम को चरागाह घोषित करने का आदेश पारित किया एव तहसीलदार भीलवाडा को आवंटित भूमि का कब्जा देकर राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु निर्देशित किया । उसके उपरान्त संशोधन आदेश क्रमांक– 13/2001 दिनांक 28.11.2001 को पूर्व के आदेश क्रमांक/13/2001 दिनांक 29.10.2001 में आराजी नम्बर 56 मीन के बजाय 46 मीन पढे जाने हेतु आदेश जारी किया । जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने न्यायालय हाजा में प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात पर अपीलार्थी काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। अपीलार्थी अपनढ कृषक होकर ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। जहो कानूनी कार्यवाहियों एवं प्रकियाओं से अनभिज्ञ है। जिससे अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 6.6.2015 को कुछ लोगों ने आकर मौके पर कब्जा करने की नियत से अपीलार्थी को बेदखल करने का प्रयास किया एवं लडाई झगडा किया तब जाकर अपीलार्थी ने अपनी कब्जेसुदा आराजी के राजस्व रेकार्ड को प्राप्त करने हेतु आवेदन किया एवं दिनांक 11.6.2015 को रेकार्ड प्राप्त होने पर अविलम्ब

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जावे।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है ।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि ग्राम बिलियॉकला की वादग्रस्त आराजी नम्बर 46 मीन रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा भूमि जो कि अपीलाधीन आदेश द्वारा चरागाह घोषित की गई है। उक्त भूमि पर अपीलार्थी का पिछले 30 वर्षो से लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि को चरागाह में परिवर्तन किये जाने के आदेश पारित किये जाने से पूर्व मौका रिपोर्ट तलब नहीं की गई है। जबकि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जाकाश्त होने से अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान कोलोनाईजेशन अधिनियम की धारा 22 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये है। जिससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त आराजी वक्त अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट के कब्जेकाश्त में थी । आवंटन के वक्त भूमि रिक्त नहीं थी। उसके बावजूद अपीलाधीन आदेश द्वारा वादग्रस्त आराजी को चरागाह में परिवर्तन किये जाने का अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि ग्राम पंचायत खैराबाद पंचायत समिति सुवाणा ने जरिये सरपंच एक प्रार्थना पत्र चारागाह से आबादी में दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत किया । जिसमें निवेदन किया गया कि " ग्राम बिलिया कलॉ की आराजी संख्या 63 मीन रकबा 128 बीघा 13 बिस्वा पर चारागाह में से आबादी हेतु पंचायत 03 बीघा भूमि चाहती है। उक्त चरागाह भूमि के बजाय ग्राम बिलिया कलॉ की ही बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 46 मीन में से 3

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बीघा भूमि चरागाह में दर्ज कराना चाहते हैं। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 28.10.2001 को प्रभारी अधिकारी महोदय, प्रशासन गांव के संग 2001 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत हुआ । जिसमें भी ग्राम बिलिया कलॉ की आराजी नमबर 46 मी रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा भूमि बंज डमें से मात्र 3 बीघा भूमि बिलानाम से चरागाह घोषित करने की प्रार्थना की गई है । उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना से परे हटकर प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष 3 बीघा भूमि से कहीं ज्यादा आराजी नम्बर 46 मीन सम्पूर्ण 5 बीघा 9 बिस्वा को ही बिलानाम से चरागाह में परिवर्तित किये जाने का आदेश पारित कर दिया । जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 29.10.2001 एवं संशोधित आदेश दिनांक 28.11.2001 को अपास्त किया जावे।

7. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश से ग्राम बिलियॉ कला की आराजी नम्बर 63 मीन रकबा 128 बीघा 13 बिस्वा किस्म चरागाह में से 3 बीघा भूमि ग्राम पंचायत खेराबाद पंचायत समिति सुवाणा द्वारा आबादी में चाहने से चरागाह की आराजी नम्बर 63 मीन में से 3 बीघा भूमि ग्राम पंचायत खैराबाद को आबादी हेतु आवंटित की गई एवं चरागाह भूमि कम होने से ग्राम बिलिया कलॉ की वादग्रस्त आराजी नम्बर 46 मीन रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा किस्म बिलानाम सरकार को चरागाह भूमि में दर्ज करने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। जो विधिसम्मत है । अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा होने का कथन किया है। अपीलार्थी का नाजायज कब्जा है जिससे उसे किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं एवं ऐसी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अतिक्रमित भूमि का आवंटन किये जाने पर कोई रोक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

8. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

9. अपीलार्थी का कथन है कि ग्राम बिलिया कलॉ की वादग्रस्त आराजी नम्बर 46 मीन रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा किस्म बिलानाम जो कि चरागाह हेतु परिवर्तन किये जाने का जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया गया है उक्त भूमि पर अपीलार्थी का पिछले 30 वर्षो से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अपीलार्थी को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है। आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व मौका रिपोर्ट भी नहीं मंगवाई गई है। वक्त अपीलाधीन आदेश वादग्रस्त भूमि चरागाह में परिवर्तन किये जाने के लिए रिक्त नही थी।

10. वादग्रस्त आराजी नम्बर 46 मीन रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा भूमि की किस्म वक्त अपीलाधीन आदेश बिलानाम सिवायचक दर्ज रही है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत चरागाह में परिवर्तन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकार प्रदान किये गये हैं। अपीलार्थी का कथन है कि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादग्रस्त आराजी पर उसका कब्जा पिछले 30 साल से चला आ रहा है। चूंकि अतिक्रमित भूमि जो कि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार हो का आवंटन अथवा भूमि की किस्म चरागाह में परिवर्तित किये जाने में कोई रोक नहीं है। ऐसी अतिक्रमित भूमि को आवंटन या चरागाह में परिवर्तन किये जाने के लिए रिक्त ही मानी जायेगी। इसलिए अपीलार्थी का यह कथन युक्तियुक्त प्रतीत नही होता है कि वक्त आवंटन वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा था।

11. कार्यालय ग्राम पंचायत खैराबाद द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम बिलिया कलॉ की आराजी नम्बर 63 मीन रकबा 128 बीघा 13 बिस्वा चरागाह में से आबादी हेतु पंचायत 3 बीघा भूमि चाहती है । उक्त चरागाह भूमि के बजाय ग्राम बिलिया कलॉ की ही बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 46 मीन में से 3 बीघा भूमि चरागाह दर्ज कराना चाहती है। जिसका प्रस्ताव संलग्न है। इस पर तहसीलदार, हमीरगढ द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें अंकन किया गया कि " ग्राम पंचायत खैराबाद के प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम बिलिया कलॉ की आराजी नम्बर 63 मी रकबा 128 बीघा 13 बिस्वा चरागाह भूमि में से 3.00 बीघा भूमि को आबादी विस्तार हेतु सुरक्षित करा आवंटन कराना चाहती है । उक्त चरागाह भूमि के दले ग्राम बिलिया कलॉ की आरी नम्बर 46 मीन रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा भूमि किस्म बंज डमें से 3.00 बीघा भूमि बिलानाम से चरागाह चाहती है ।" अंत में तहसीलदार हमीरगढ द्वारा अनुशंषा के साथ अंकित किया गया कि ग्राम बिलिया कलॉ की आराजी नम्बर 63 मीन रकबा 128 बीघा 13 बिस्वा भूमि में से 3 बीघा भूमि चरागाह

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

से आरक्षित कर आबादी में आवंटन की जावे । ग्राम बिलिया कलॉ की आराजी नम्बर 46 रकबा 5.09 में से 3.00 बीघा बंजड बिलानाम को चरागाह घोषित किया जावे। अपीलाधीन मामले में ग्राम पंचायत द्वारा भी आबादी विस्तार हेतु 3 बीघा भूमि चरागाह में से मांग की गई एवं उसके बदले वादगस्त आराजी नम्बर 46 मीन रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा किस्म बंजड बिलानाम में से 3 बीघा भूमि को चरागाह में परिवर्तन किये जाने हेतु निवेदन किया गया है एवं तहसीलदार, हमीरगढ द्वारा भी इसी अनुसार अनुशंषा की गई है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है उसमें वादग्रस्त आराजी नम्बर 46 मीन रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा किस्म बंजड बिलानाम में से 3 बीघा भूमि को चरागाह में परिवर्तित किये जाने का आदेश पारित नहीं कर ग्राम पंचायत खैराबाद द्वारा किये गये निवेदन एवं तहसीलदार, हमीरगढ की अनुशंषा से परे जाकर वादग्रस्त आराजी नम्बर 46 मीन रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा किस्म बंजड बिलानाम के सम्पूर्ण रकबे को चरागाह में परिवर्तित किये जाने का आदेश पारित किया है । जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

12. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28. 10.2011 में इस सीमा तक संशोधन किया जाता है कि ग्राम बिलिया कलॉ के चरागाह नान कमाण्ड क्षेत्र के आराजी नम्बर 63 मीन में से 3 बीघा भूमि चरागाह को आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित करते हुए ग्राम पंचायत खैराबाद को आवंटन की जाती है बदले में आराजी नम्बर **46 मीन रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा** को बिलानाम को चरागाह में घोषित नहीं कर 3 बीघा भूमि को ही चरागाह घोषित मानते हुए राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे । यदि राजस्व रेकार्ड में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजी नम्बर 46 मीन रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा का सम्पूर्ण रकबा चरागाह में अंकित कर दिया गया हो तो उसमें संशोधन कर राजस्व रेकार्ड में 3.00 बीघा भूमि का ही में अंकन किया जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 31.8.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

31/8/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा